

31 NO 35 / HP / 14 23 ^{Constituency}
2:25 pm

प्रस्तुप-2 क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग-1 या भाग-2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

• (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 23 समस्तीपुर (सू०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम 21 अंवित झुमार पासवान

पिता/माता/पति का नाम 21 अंवित झुमार पासवान उसका डाक पता आम + पौ० - सातनपुर

भाग-1 - उजियारपुर जिला - समस्तीपुर उसका नाम 22 उजियारपुर

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट] 134 उजियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 103 में क्रम सं० 394 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम राम पवेश महले है जो 23 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समविष्ट] 132 बारिधारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 51 में क्रम संख्या 396 पर प्रविष्ट है।

राम पवेश महले
(प्रस्थापक का हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम उसका डाक पता

उसका नाम

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट] विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में, जैसे की नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

(2)

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर ।

प्रस्थापक का निर्वाचन नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचन नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	132 AIR BANK	51	308	विश्वनाथ बाबू	विश्वनाथ बाबू 9/4/2014	
2	132 AIR BANK	51	280	बिमला देवी	बिमला देवी 9/4/2014	
3	132 AIR BANK	51	279	लिहारी कुमार	लिहारी कुमार 9/4/2014	
4	132 AIR BANK	51	303	कुमारी देवी	कुमारी देवी 9/4/2014	
5	132 AIR BANK	51	282	राजेश कुमार	राजेश कुमार 9/4/2014	
6	132 AIR BANK	51	283	राजेश कुमार	राजेश कुमार 9/4/2014	
7	132 AIR BANK	51	310	संजय पासवाल	संजय पासवाल 9/4/2014	
8	132 AIR BANK	51	262	परवा बिहारी	परवा बिहारी 9/4/2014	
9	132 AIR BANK	51	322	रघुमाला देवी	रघुमाला देवी 9/4/2014	
10	132- AIR BANK	51	118	सुलेखा बिहारी	सुलेखा बिहारी 9/4/2014	

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

मैं भाग-1 /भाग-2 (जो लागू न हो, उसे काट दें) में वर्णित अध्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 44 [विधि/लिपि] वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(नीचे ख (i) या ख(ii) में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में 264 दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में 214 जाति/कारी समाजवादी पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो राजस्त्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अध्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ; (जो लागू न हो, उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधियान क्रम में (i) 264 दल द्वारा देखा जाएंगे।

(ii) (iii) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर 264 (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा जा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो 264 राज्य के उस राज्य में के 37 जिलाएँ (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित हूँ। ** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अध्यर्थी के रूप में ** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

264 विधि/लिपि (1919)

तारीख 9.4.14

(अध्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में “मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

*** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें- “मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

(4)

भाग-3 क
 (अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की-
 - (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
 - (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

} हाँ/ नहीं

यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक २०५
- (ii) पुलिस थाना(थाने) २०५ जिला(जिले) २०५ राज्य २०५
- (iii) संबंद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था २०५

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखे) २०५
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया २०५
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें २०५

- (vii) कारगर से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) २०५
- (viii) क्या उपर्युक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीले)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाईल की गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन (आवेदनों) की विविच्छियाँ २०५

- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील(अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन फायल किए गए थे २०५
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वें लंबित हैं २०५

- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदन) निपटारा हो गया है, तो -
 - (क) निपटारा की तारीख (तारीखें) : २०५
 - (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) : २०५

स्थान : सिंगलिंगर
 तारीख : ११/६/१५

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
 (अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

(5)

भाग-4

(रिटनिंग ऑफिसर द्वारा भरा जायेगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०
35

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में 09.04.2014 (तारीख) को ३५० ०२.२५ (बजे) *अध्यर्थी/ प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख : 09.04.2014

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिये ।

(रिटनिंग ऑफिसर)
23-समस्तीपुर (अण्डा) लोक नगर, बिहार
—सहै—

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटनिंग ऑफिसर का विवरण

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विवरण द्वारा दर्शाता हूँ -

तारीख :

(रिटनिंग ऑफिसर)

(झिल्डण)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान अनुच्छेद 84(क))
(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान रखूँगा/रखूँगी एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

और बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती श्रावण कुमार पाण्डवान्

०२.२८. बजे ०१.०१.१५ से आज तारीख ०१.०१.१५ के मूर्खन/अपराह्न ईश्वर के नाम पर शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

नाम :-

पदनाम :-

मुहर :-

२३-समस्तीपुर, अ०जा०)लोक सभा निर्वाचन जिला

यहाँ से फाड़े

--सह--

जिला निर्वाचिकारी, समस्तीपुर

शपथ लेने का प्राप्ति प्रमाण-पत्र



BIHAR
PROHIBITION DEPT.
SAMSASTIPUR
No. 3358



भारत
STAMP DUTY
00000

विधायक
JUDICIAL

8
92687
6577

AUTHORISED US 104 OF 78
CPC AND SEC. 114 OF
THE NOTARIES ACT, 52

“प्रस्तुप 26”
(नियम 4क देखिए)

2389 9/4/14
No. _____ Date _____



23 स्वतंत्रलीपुर (खंडो) निर्वाचन क्षेत्र से भौतिक समा

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं राजनीतिक दल का नाम 21 त्रिवेनि उमार पाटवान भाग-क्रम
पुत्र/पुत्री/पत्नी 21 त्रिवेनि पाटवान आयु 44 वर्ष,
जो 21 त्रिवेनि पाटवान संपत्ति 3 लाख 242 रुपये (3 लाख 242 रुपये) का/की निवासी
हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अध्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-
(1) मैं (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अध्यर्थी/

**एक स्वतंत्र अध्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 21 त्रिवेनि उमार पाटवान 22 अप्रैल 2012, विधायक
में आग सं. 163 के क्रम सं. 394 पर प्रविष्ट है।
(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 99 349 52101 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 9104

(4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के लिए और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः

SWEORN BEFORE ME ON THE 21st APRIL 2012
BY Shashi Bhushan, Notary Public
RECOGNIZED BY THE STATE GOVERNMENT
IN THE STATE OF BIHAR
NOTARY PUBLIC
SAMSASTIPUR

क्रम सं.	स्वयं पाटवान NOTARY SAMSASTIPUR	पैन 9-4-14	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं 21 त्रिवेनि उमार पाटवान AHMPP 1025 C	2013-14	3,31,730	
2.	पति या पत्नी	200	200	200
3.	आश्रित-1	200	200	200
4.	आश्रित-2	200	200	200
5.	आश्रित-3	200	200	200

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	समालीपुर नगर पाना क्रिटि - ५९०/२००५
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	आन्ध्र प्रदेश - १८८, १७१ F आन्ध्र प्रदेश क्रिटि क्रीड़ा
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	क्रिटि आन्ध्र प्रदेश १३.६.२००७ ११.३.२०१८ १८३८/०५ क्रीड़ा
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	क्रीड़ा क्रिटि पुनरीक्षण ८५० दण्डनीय क्रीड़ा
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	२४.१. २०११
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	मामले
(ii)	निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]	मामले

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मामले
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	मामले
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	मामले

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-
..... यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:-
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	मामले
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	मामले
(ग)	अधिरोपित दंड	मामले
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	मामले

(.7) मैं पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अं. जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	51,000/-	81,000/-	21021	21021	21021
(ii)	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	आतीवृद्धि बैंक खाता साइपुरसाइप बचत खाता रु. - 314526 83059 रु. 105,000/-		21021	21021	21021
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम			21021	21021	21021
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	बजाज 15000 रु. 45,000/- रु. 10000/- 30,000/-		21021	21021	21021
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम			21021	21021	21021

(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ वाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम	४२१६१८५। १३२३३० ६९०। २००६। ४५,०००।-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	३०२५८८ साँना चैन ९०,०००।-	५०२५८८ साँना चैन, वाल १२०,०००।-	१०२५८८ घोल चैन ३६,०००।-	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	८०,०००। ५०,०००।	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ix)	समग्र कुल मूल्य	५,१६,०००।-	१४१,०००।-	३०,०००।-	शुल्क	शुल्क

ख. स्थावर (Immovable) आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ))	२९०८।१९ २५६८।१०४८ २९०८।५३८ २८८८।३४५९	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (एकड़ में कल माप) व्या. विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	१० क्लू।	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२८.५.११ १-८-२००६ ३०-५-१३	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२६-८-१३ २,००,०००।- ६६,०००।- १२२,०००।- १४०,०००।-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	व्या. विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	शुल्क	नहीं	नहीं

	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
(iv) आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	एकलम्बा २खपैरेल	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	154.29 फूट ५५२	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०८.७५ फूट १०३	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शूल	शूल	शूल	शूल
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50,000/-	शूल	शूल	शूल
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शूल	शूल	शूल	शूल
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	10,76,000/-	शूल	शूल	शूल

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या शोध्य (loan or dues) बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	कोई अन्य दायित्व	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	दायित्वों का कुल योग	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल

सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
आय-कर शोध्य	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
धनकर शोध्य	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
सेवाकर शोध्य	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
विक्रयकर शोध्य	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
कोई अन्य शोध्य	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतवलित (In- volved) रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	मूल	मूल	मूल	मूल	मूल

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं वकाला(ख) पति या पत्नी दृष्टि

10. मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

रमा रमा रमा रमा(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे
देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

11. भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1. अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमा० <u>श्रीमुखन कुमार पासवान</u>
2. डाक का पूरा पता	<u>ग्राम पंचायत - सातनाथपुर आग्रा - 21 जिला 24</u> <u>जिला - सातनाथपुर</u>
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>23 सातनाथपुर (सुरक्षित) बिहार</u>
4. उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>राष्ट्रीय कानूनिकारी उत्तर वार्डी</u> <u>पार्टी</u>

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विवरित किए गए हैं।		४५			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)		२८८			
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएँ)		२८८			
7. का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
(क) अभ्यर्थी	AHHPP/10 25c	20-13-14	3,31,730/-			
(ख) पति या पत्नी	शूल	शूल	शूल			
(ग) आश्रित	शूल	शूल	शूल			
8. आस्तियों और स्थावरों के ब्यौरे (रूपए में)	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जांगम (Movable) आस्तियां (कुल मूल्य)	३४६८८८ १५,०००/-	शूल	शूल	शूल	शूल
ख.	स्थावर (Immovable) आस्तियां	१०,७०,०००/-	शूल	शूल	शूल	शूल
(I)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	535,०००/-	शूल			
(II)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)			शूल	शूल	शूल
(III)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	१०,७०,०००/-	शूल	शूल	शूल	शूल

	(क) स्व अर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	185,000/-	120,000/-	30,000/-	रुपये	रुपये
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)	मैट्रिकल 1982 सं. वि. वरदानी 1982 1984 २००३-२००५ सं. वि. बी.ए. 1986 " " " २००५-२००७ सं. वि. रम.ए. 1994 सं. वि. २००५-२००७ सं. वि. एम.एम.फॉ-1999. विभिन्न महाविद्यालय सं. वि. २००५-२००७				

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोन्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 9/4/2014 को सत्यापित किया गया।

9/4/14
SWEAR BEFORE ME ON THE DAY OF
BY ~~Shashi Ghoshal~~ ~~Praveen Singh~~ ~~Identified by Praveen Singh~~
~~Advocate Samastipur~~
My
NOTARY
SAMASTIPUR
9.4.14
Sworn before me on the day of April 2014
the deponent who has
signed in my presence
Praveen Singh Adi
E-mail: 480610 Adi

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो “शून्य” या “लागू नहीं” या “ज्ञात नहीं” जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9934952101

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है 9934952101

एवं मेरा सोशल एकाउटस (अगर कोई हो) है 9934952101